भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.799
17.12.2018 को उत्तर के लिए

पराली जलाये जाने को रोकने के लिए कार्य योजना

799. श्री विशम्भर प्रसाद निषादः
चौधरी सुखराम सिंह यादवः
श्रीमती छाया वर्माः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्य योजनाएं बनाए जाने तथा जन-जागरुकता पर भारी राशि खर्च किए जाने, जिनका संतोषजनक परिणाम नहीं आया है, के बावजूद दिल्ली के समीपवर्ती राज्यों के किसानों द्वारा पराली जलाए जाने के कारण प्रत्येक वर्ष अक्टूबर-नवम्बर में दिल्ली के आस-पास हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों से धान सहित पराली की खरीद करने हेतु सरकार संबंधित विभागों और एजेंसियों को सलाह देगी और नीति बनाएगी जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके और पराली जलाने से पर्यावरण को नुकसान भी कम हो सके?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(डॉ. महेश शर्मा)

(क) सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सीएएक्यूएमएस) के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि 2017 (जनवरी-दिसम्बर 11, 2017) की तुलना में 2018 (जनवरी-दिसम्बर 11, 2018) में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार हुआ है जैसे कि 'अच्छे' से 'मध्यम' दिनों की संख्या वर्ष 2017 में 151 दिनों की तुलना में वर्ष 2018 में बढ़कर 158 दिन तथा 'खराब' से 'गंभीर' दिनों की संख्या वर्ष 2017 में 194 से घटकर वर्ष 2018 में 187 हो गई।

भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सर्दियों के मौसम में उत्तरी राज्यों में पराली जलाए जाने से दिल्ली तथा एनसीआर में वायु प्रदूषण होता है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली (एसएएफएआर) ने इस वर्ष खरीफ के मौसम के लिए कुल पीएम 2.5 में पराली जलाये जाने के योगदान का विश्लेषण किया है। पीएम 2.5 में पराली जलाये जाने से यह अनुमानित प्रतिशत अंश 26 अक्तूबर, 2018 को 36 प्रतिशत और 5 नवम्बर, 2018 को 33 प्रतिशत तक पहुंच गया।

(ख) भारत सरकार ने पराली जलाये जाने से होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण संबंधी मामले के समाधान के लिए पहले से ही एक नीति बनाई है। फसल अवशेष के यथास्थान प्रबंधन के लिए किसानों को रियाती दरों पर मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए, 1151.80 करोड़ रूपए की लागत से वर्ष 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेष के यथास्थान प्रबंधन के लिए 'कृषि संबंधी यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नई केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत, आठ भूसा प्रबंधन उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता दी जाती है (प्रत्येक किसान को उपकरण की लागत का 50 प्रतिशत तथा किसानों की सहकारी समितियों, समूहों या एसएचजी तथा निजी उद्यमियों के समूहों द्वारा कस्टम हाइरिंग केन्द्र (सीएचसी) के लिए उपकरणों की लागत के 80 प्रतिशत की वित्तीय सहायता दी जाती है।

*****